भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3398
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

कारपोरेट क्षेत्र का विकास

3398. डॉ. मनोज राजोरिया :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय कारपोरेट क्षेत्र द्वारा किए गए विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय कारपोरेट क्षेत्र ने देश में बेरोजगारी कम करने में भूमिका निभाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कारपोरेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क): भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के विकास के संबंध में वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में सक्रिय कंपनियों की संख्या और उनकी प्रदत्त पूंजी का विवरण अनुलग्नक-I पर है।

(ख) और (ग): भारत में कारपोरेट क्षेत्र का विकास करने तथा व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) विभिन्न विभागों और एजेंसियों जैसे औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

.....2/-

(सीबीडीटी), भारतीय रिजर्व बैंक और कारपोरेट कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार की चौदह सेवाओं को ई-बिज पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

(ii) फार्म को सरल बनाकर तथा प्रक्रियाओं को 24x7 ऑनलाइन बनाकर औद्योगिक लायसेंस और औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

(iii) गृह मंत्रालय से औद्योगिक लायसेंस तथा सुरक्षा अनुमोदन लेने की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है।

(iv) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिनांक 12.03.2015 को अधिसूचना जारी की गई है जिसके द्वारा निर्यात और आयात के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को तीन तक सीमित कर दिया गया है।

(v) पर्यावरण और वन की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।

(vi) केन्द्रीय बजट घोषणा (2015-16) में कारपोरेट कर की दर अगले 4 वर्षों में क्रमिक रूप से 30% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 में विभिन्न संशोधन अधिसूचित किए हैं जिनसे व्यापार को सरल बनाया गया है। इन संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है (क) निगमन की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए एकीकृत ई-प्ररूप आईएनसी-29 शुरू करना, (ख) कंपनियों द्वारा निगमन के समय न्यूनतम प्रदत्त पूंजी का भुगतान करने के साथ-साथ व्यापार प्रारंभ करने की घोषणा की अनिवार्यता समाप्त करना, (ग) प्राइवेट कंपनियों को कतिपय शर्तों के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विभिन्न छूट प्रदान करना आदि।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3398 का अनुलग्नक

शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

वर्ष	सक्रिय कंपनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (करोड़ रुपए में)
2012	800761	1623635
2013	883611	1811889
2014	946651	2118229
2015	1015601	2295969
2015*	1046527	2499237

*14 दिसंबर, 2015 तक की स्थिति

*****